न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या 21/17

मो० कामिल---बनाम--- मो० मकसूद

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–19 क 1

दिनांक–21.10.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–19 क 1 पेश है।

प्रार्थना पत्र कागज सं०–19 क 1 मय शपथ पत्र वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित आदेश 6 नियम 17 जा०दी० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी मकसूद का देहान्त दिनांक 20.10.2018 को हो गया है। मृतक के विधिक व जायज वारिसान में उनके पुत्रगण उबैद अहमद, जुबेर अहमद, असरार अहमद व अब्दुल कुद्दुश है। ऐसे में वाद पत्र में संशोधन करने की याचना वादी द्वारा की गयी है।

प्रतिवादी न तो उपस्थित है और न ही उसके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिवादी मकसूद का देहान्त दिनांक 20.10.2018 को हो गया है जिनके विधिक व जायज वारिसान में उनके पुत्रगण उबैद अहमद, जुबेर अहमद, असरार अहमद व अब्दुल कुद्दुश है। मृतक के विधिक वारिसान जरिए वकालतनामा कागज सं०–33 ग पत्रावली में उपस्थित है। वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र मियाद अन्दर प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली सन् 2017 से लम्बित चल रही है जिसका शीघ्र निस्तारण माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार अपेक्षित है। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है वादी का मृतक प्रतिवादी मो० मकसूद के वारिसानो के विरूद्ध वादकारण शेष है। अतः सुनवाई का अवसर देने तथा मामले को गुण दोष पर पूर्ण व अंतिम निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र कागज सं०–19 क 1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं०– 19 क 1 स्वीकार किया जाता है। वादी वाद पत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त जवाबदावा दिनांक 09.12.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)
सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 02520